



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 601 राँची, बुधवार, 19 आश्विन, 1945 (श०)
11 अक्टूबर, 2023 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

27 सितम्बर, 2023

संख्या-एल०जी०-07/2023-74--लेज०, झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-21/09/2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2023

(झारखण्ड अधिनियम- 12, 2023)

विषय-सूची

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ
2. झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2012 की धारा-24(1) का संशोधन

झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2023

झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2012 की धारा-24(1) में संशोधन करने हेतु अधिनियम, 2023

भारत गणराज्य के चौहत्तरे वर्ष में झारखण्ड राज्य विधन मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित है।

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारंभ:-

- (1) यह अधिनियम झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
- (2) इसका प्रसार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (3) यह राज्य गजट में अधिसूचित होने की तिथि से प्रवृत्त होगा।

2. झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2012 की धारा-24(1) का संशोधन:-

मूल अधिनियम की धारा 24 (1) में "पंद्रह रुपया" शब्दों के स्थान पर, "तीस रुपया" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

27 सितम्बर, 2023

संख्या-एल०जी०-07/2023-75-लेज० झारखंड विधान मंडल द्वारा यथा पारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-21/09/2023 को अनुमत **झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2023** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत का संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा ।

THE JHARKHAND ADVOCATES' WELFARE FUND (AMENDMENT) ACT, 2023

(Jharkhand Act- 12, 2023)

Subject – Index

PRELIMINARY

1. Short name and commencement
2. Amendment in the Section-24(1) of The Jharkhand Advocates' Welfare Fund Act, 2012.

THE JHARKHAND ADVOCATES' WELFARE FUND (AMENDMENT) ACT, 2023

An Act to Amend the Section- 24 (1) of The Jharkhand advocates' welfare Fund Act, 2012.

Be it enacted by the legislature of the State of Jharkhand the Seventy four Year of the Republic of India as follows:-

1. Short title, extent and commencement:-

- (1) This Act, may be called "The Jharkhand Advocates' Welfare Fund (Amendment) Act , 2023"
- (2) It extends to the whole of the State of Jharkhand.
- (3) It shall come into force from the date as notified in the State Gazette.

2. Amendment of Section 24(1) of The Jharkhand advocates' welfare Fund Act, 2012 :-

In Section 24(1) of the principal Act, for the words “fifteen rupees”, the words “thirty rupees” shall be substituted.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
